बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राज्य खाद्य निगम का वित्तीय उपलब्धी एवं कार्य योजना ।

बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से आम जनता तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है । फरवरी 2014 से खाद्य सुरक्षा कानून लागू किये जाने के उपरान्त इस मद में प्रत्येक माह 409574.93 मे0टन0 खाद्यान्न उठाव करने एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है । इस कार्य हेतु कम्प्यूटर के द्वारा भंडार निर्गमादेश निर्गत किया जाना, डोर स्टेप डिलेवरी, परिवहन कार्य हेतु उपयोग में लाए जा रहे वाहनों का जी0पी0एस0 द्वारा ट्रेकिंग इत्यादि का कार्य किया जा रहा है । फलतः खाद्यान्नों के कालाबजारी में रोक लगाया जा सकता है ।

खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2013-14 में कुल 1362242.01 मे0 टन0 धान अधिप्राप्ति किया गया है । वर्ष 2013-14 में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 13100/- रू0 प्रति मे0टन0 के अलावे 2500/-रू0 प्रति मे0टन0 के दर पर बोनस का भुगतान किया गया है । इस प्रकार बोनस के लिए राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त 340.56 करोड रू0 बोनस के रूप में किसानों को भुगतान किया गया है । खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2013-14 से विकेन्द्रकृत अधिप्राप्ति लागू किये जाने के फलःस्वरूप राज्य द्वारा उपजाये गये आनाज का उपयोग राज्य वासियों के द्वारा किया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप निम्नांकित योजनाओं के सफल कार्यवयन हेतु निम्न प्रकार व्यय आकलित है ।

मद	राशि (करोड में)
1. डोर स्टेप डिलवरी मद में	345.22
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न उठाव कर वितरण करने हेतु अन्तर एवं उपस्थापन व्यय के मद में	660.80
3. आपूर्त्ति प्रबंधन को शृखलाबद्ध कम्प्यूटराईजेशन करने के मद में	336.00
4. खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2014-15 के लिए 30 लाख मे0 टन0 लक्ष्य मानकर पुराने दर मो0 13100/-रू0 मे0टन0 के दर पर सम्भावित व्यय	3930.00

1.1 लक्षित जन वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चार आवश्यक वस्तुएँ यथा गेहूँ, चावल, चीनी तथा किरासन तेल राशन कार्डधारियों के बीच वितरित किया जाता है । केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली योजना जून, 1997 से राज्य के अन्तर्गत प्रारंभ की गयी है । इस प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मुख्यतः दो श्रेणियों क्रमशः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में से अति गरीब परिवारों को इस प्रणाली के अन्तर्गत अत्यधिक अनुदानित दर पर अन्त्योदय अन्न योजना में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है । इस प्रकार इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः तीन योजनाएँ क्रमशः ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना संचालित की जाती थी ।

भारत सरकार द्वारा गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों को 1 फरवरी 2014 से राज्य में लागू किया गया है । इसके अन्तर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 85.12 प्रतिशत अर्थात 783.74 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत अर्थात 87.42 लाख कुल 871.16 लाख जनसंख्या आच्छादित होंगे । इस अधिनियम के आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार प्राथमिक परिवार का चयन किया जाना था । उक्त परिवारों को चयन करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई । समिति द्वारा पात्र परिवारों के चयन हेतु मार्गदर्शक सिद्वांत निर्धारित की गई एवं इसका समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर आम जनों से आपति/सुझाव प्राप्त किया गया एवं इसके आधार पर पात्र परिवारों के चयन हेतु विभागीय पत्र सं0-03 दिनांक 01.01.2014 द्वारा सभी जिलों को निदेश दिया गया । जिसके आलोक में अबतक सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के प्रारूप प्रकाशन के अधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 करोड़ 90 लाख एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 70 लाख मात्र व्यक्यिों की पहचान की गयी है । उक्त अधिनियम के आलोक में अन्त्योदय श्रेणी के परिवारों को 35 किलोग्राम एवं पूर्वीकर्त्ताप्राप्त श्रेणी के प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न की आपूर्ति माह मार्च 2014 से की जा रही है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के आलोक में एस0ई0सी0सी0 डाटा के प्रारूप प्रकाशन के अनुसार राशन कार्ड मुद्रित कराकर लाभुकों को वितरित करने का अनुरोध विभागीय पत्र सं0-8136 दिनांक 27.12.2013 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी से किया गया है । जिसके आलोक में पूर्वीकर्त्ताप्राप्त श्रेणी के गृहस्थी को राशन कार्ड वितरण किया गया है ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत जैसे अनुश्रवण समिति का गठन, भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि आदि के संबंध में भी कार्रवाई की गई है ।

1.2 आवंटन एवं वितरण (गेहूँ एवं चावल)

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना विभाग द्वारा माह फरवरी 2014 तक संचालित थी । माह मार्च 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में अन्त्योदय एवं पूविकिता प्राप्त श्रेणी के खाद्यान्न मुहैया कराया रहा है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती है ।

ए0पी0एल0

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से उपर रहने वाले परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था । ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत सरकार को भारत सरकार से 53,486 मे0टन गेहूँ एवं 74 मे0टन चावल का मासिक आवंटन प्राप्त था जो सभी ए0पी0एल0 परिवारों के लिए काफी कम था । समय-समय पर भारत सरकार से इस मद में तदर्थ रूप से खाद्यान्न प्राप्त होने पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को देने हेतु आवंटन दिया जाता था ।

बी0पी0एल0

राज्य में कुल बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या 1,37,37,607 थी, परन्तु भारत सरकार से राज्य को 65.23 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों हेतु अनुदानित दर पर 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता था जिसमें से 25,01,000 परिवारों हेतु अन्त्योदय अन्न योजना में तथा शेष 40.22 लाख परिवारों हेतु बी0पी0एल0 योजना के तहत् खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता था । राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षित कुल बी0पी0एल0 परिवारों में से 1,12,36,607 बी0पी0एल0 परिवारों को बी0पी0एल0 योजना के तहत् 5.22 रू0 प्रति किलो की दर से 10 किलोग्राम गेहूँ एवं 6.78 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो चावल कुल 25 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है ।

अन्त्योदय अन्न योजना

इस योजना के अन्तर्गत 2 रू0 प्रति किलो की दर से 14 किलो गेहूँ एवं 3 रू0 प्रति किलो की दर से 21 किलो चावल कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है ।

भारत सरकार से अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सभी विस्तार सहित कुल 25,01,000 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अत्यन्त गरीब परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त है, तदनुसार गरीबों में अति गरीब के सिद्धान्त पर प्राप्त लक्ष्य के अनुसार 25,01,000 परिवारों का चयन किया गया है । इस योजना में भारत सरकार से 25,01,000 परिवारों के लिए आवंटन प्राप्त हो रहा है । वर्त्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

के आलोक में मार्च 2014 से चयनित 25,01,000 प्रत्येक परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के हथालन, परिवहन, मार्जीन मनी, जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कमीशन इत्यादि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

1.2 (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा देना है। सभी चिन्हित अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। अतएव राज्य में इसे दिनांक 01.02.2014 से प्रभावी किया गया है ।

इस अधिनियम के आलोक में वर्ष 2011 की (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार पात्र गृहस्थियों का चयन कर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभ दिया जाना है । बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 प्रतिशत आबादी एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत आबादी क्रमशः 783.74 लाख एवं 87. 42 लाख कुल 871.16 लाख आबादी को आछादित किया जाएगा ।

अधिनियम के अनुसार लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी होंगे । अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत पात्र गृहस्थी को 35 किलोग्राम (14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल) खाद्यान्न की आपूर्ति होगी जबकि पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को उस गृहस्थी में प्रत्येक व्यक्ति 5 किलोग्राम (2 किलोग्राम गेहॅ एवं 3 किलोग्राम चावल) की दर से खाद्यान्न की आपूर्ति होगी । गेहूँ एवं चावल का दर क्रमशः 2/- रू0 एवं 3/- रू0 प्रति किलोग्राम होगा ।

भारत सरकार प्राप्त लक्ष्य के विरूद्व बिहार राज्य में अबतक सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना प्रारूप प्रकाशन के आधार पर पात्र गृहस्थियों की पहचान हेतु मानक निर्धारित कर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6 करोड़ 90 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 70 लाख पात्र व्यक्तियों की पहचान कर माह मार्च, 2014 से अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है । इस हेतु भारत सरकार से लगभग 4.09 लाख मे0टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन माह मार्च, 2014 से प्राप्त हुआ है ।

1.3 अन्नपूर्णा योजना (श्वेत राशन कार्ड)

राज्य में यह योजना 01.04.2001 से लागू है । यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजनान्तर्गत राज्य में राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों के 20 प्रतिशत वैसे अनाश्रय वृद्वों जो वृद्वावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं

हो रहा है, को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ तथा 4 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है ।

राज्य में वर्त्तमान में 1,28,538 अनाश्रय वृद्धों को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ एवं 4 किलो चावल मुफ्त आपूर्ति की जा रही है ।

1.4 उपभोक्ता स्तर के मूल्य (गेहूँ एवं चावल)

केन्द्र सरकार के निर्णय के आलोक में बी0पी0एल0 परिवारों के लिए गेहूँ का मूल्य 5.22 रू0 प्रति किलो तथा चावल का मूल्य 6.78 रू0 प्रति किलो तथा ए0पी0एल0 परिवारों के लिए गेहूँ का मूल्य 7.00 रू0 प्रति किलो तथा सामान्य एवं ग्रेड ''ए'' चावल का मूल्य क्रमशः 9.05 रू0 प्रति किलो तथा 9.41 रू0 प्रति किलो निर्धारित किया गया है । अन्त्योदय लाभुकों के लिए 2/- रूपये प्रति किलो गेहूँ एवं 3/- रूपये प्रति किलो चावल उपभोक्ता मूल्य निर्धारित है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में अन्त्योदय एवं पूविकित्ताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत 2/- रू0 किलो, गेहूँ 3/- रू0 किलो प्रतिकिलो ग्राम चावल का उपभोक्ता मूल्य निर्धारित है ।

1.5 आवंटन एवं वितरण- किरासन तेल

वर्त्तमान में राज्य को 67840 के0 एल0 किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा है । इसकी प्राप्ति राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों के माध्यम से होती है । मार्च, 2011 से राज्य में किरासन तेल वितरण ब्यवस्था के युक्तिकरण (Rationalisation) को संशोधित किया गया है ।

इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार क्रमशः 2.75 लीटर एवं 2.25 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है ।

राज्य में कार्यरत किरासन तेल ठेला भेंडरों के किरासन तेल आवंटन में एकरूपता लाते हुए प्रति माह, प्रति ठेला भेंडर 750 लीटर किरासन तेल आवंटित किया जाता है ।

राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों/इकाइयों एवं नेपाल से सटे आठ जिलों में अवस्थित ग्रामीण एवं सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों के थानों एवं पुलिस चौकियों हेतु समुचित प्रकाश की व्यवस्था के लिए प्रतिमाह कुल 62,110 लीटर किरासन तेल का आवंटन जिलों को उपलब्ध कराया जाता है ।

सभी जिलों को जिला सुरक्षित मद में भी किरासन तेल का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है । इसके अन्तर्गत पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, एवं भागलपुर जहाँ नगर निगम, प्रमंडलीय मुख्यालय, विश्वविद्यालय एवं अधिक संख्या में शिक्षण संस्थाएँ हैं, को 6572 लीटर प्रति-माह, भोजपुर जहाँ विश्वविद्यालय एवं नगर निगम तथा सारण जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय अवस्थित हैं को 5750 लीटर, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, नालंदा एवं मधेपुरा जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय, या नगर निगम या विश्वविद्यालय अवस्थित हैं, को प्रति माह 4929 लीटर तथा शेष सभी जिलों को प्रति माह 4107 लीटर किरासन तेल जिला सुरक्षित मद में आवंटित किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त राज्य में लगनेवाले हाट-बाजारों/मेलों के लिए भी जिलों को अवशेष तेल में से बराबर मात्रा में किरासन तेल आवंटित किया जाता है ।

''बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश 1984'' की 'अनुसूची IV' की कंडिका (4)' में किरासन तेल के ऑयल कंपनी, थोक किरासन तेल विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता (ठेला भेंडर) के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क एवं द्वितीयक (Duplicate) निर्गम शुल्क को दिनांक 21.05.09 के प्रभाव से संशोधित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

	अनुज्ञप्ति शुल्क	नवीकरण शुल्क	द्वितीयक (Duplicate) प्रति निर्गत शुल्क
ऑयल कंपनी	10,000	5,000	5,000
थोक तेल विक्रेता	6,000	3,000	3,000
खुदरा विक्रेता (ठेला भेंडर)	50	10	10

1.6 आवंटन, वितरण तथा मूल्य - लेवी चीनी

भारत सरकार से राज्य को प्रति माह 21504.0 मे0टन लेवी चीनी का आवंटन राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों एवं राज्य में पदस्थापित अर्द्धसैनिक बलों के लिए माह जनवरी 2012 तक प्राप्त होता रहा है । राज्य खाद्य निगम को चीनी मिल से चीनी क्रय करने में प्रति क्वींटल 2015.11 रू0 व्यय करना पड़ता है, जबकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को एस0एफ0सी0 द्वारा 1343.15 रू0 प्रति क्वींटल की दर से आपूर्ति की जाती है । इस प्रकार राज्य खाद्य निगम को चीनी मिल से क्रय कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता को आपूर्ति करने में 671.96 प्रति क्वींटल राशि की हानि होती है । इस हानि की राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम के तहत गठित मूल्य समानीकरण कोष के माध्यम से भारत सरकार द्वारा करने का प्रावधान है । उठाव किये गये लेवी चीनी के विरूद्ध हानि की राशि 71.67 करोड़ है, जिसका भुगतान एफ0सी0आई0 से एस0एफ0सी0 को किया जाना है । भुगतान लम्बित रहने के कारण राज्य खाद्य निगम द्वारा लेवी चीनी का उठाव करने में असमर्थता व्यक्त की गई थी ।

1.7 राशन कार्ड

ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा क्रमशः राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षित परिवारों के बीच वितरण हेतु विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड, ए0पी0एल0 (हरा), बी0पी0एल0 (लाल) एवं अन्त्योदय (पीला), बिहार स्टेट टेक्सट् बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन द्वारा मुद्रित कराकर जिलों उपलब्ध कराया गया था ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में सभी पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को Gray(स्लेटी) रंग का राशन कार्ड उपलब्ध जा रहा है ।

1.8 जन वितरण प्रणाली दुकान

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में कुल 42862 जन वितरण प्रणाली की दुकानें कार्यरत हैं जिनमें से 6904 दुकानें अनु0जा, 327 अनु0ज0जा, 12791 पिछड़ी जाति, 2980 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 3120 अल्पसंख्यक, 3361 महिला, 4574 पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) 192 महिला स्वयं सहायता समूह, 164 विकलांग एवं शेष दुकानें सामान्य वर्ग द्वारा संचालित की जा रही हैं । 12145 दुकानें रिक्त हैं ।

1.9 पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मद्देनजर राज्य में जन वितरण प्रणाली का end to end Computerization किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत राज्य के सभी राशन दुकानों एवं राशन कार्डधारियों का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है । अभी तक 1.85 करोड़ राशन कार्ड डाटा का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है एवं इसे अपलोड करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । सभी प्रखंड, अनुमंडल, जिला आपूर्ति कार्यालयों तथा राज्य खाद्य निगम के गोदामों में कम्प्यूटर लगाया गया है । गोदामों की निगरानी हेतु इंटरनेट आधारित डिजिटल कैमरा भी लगाया गया है ।

1.10 ग्रामीण अनाज बैंक की स्थापना

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मत्रांलय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक 2/Budget VGB/2013 (Plan)BP-II दिनांक 01.01.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के फलस्वरूप कुल जनसंख्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का 67 प्रतिशत को खाद्यान्न सुरक्षा मिलेगा इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्रामीण अनाज बैंक योजना Discontinue कर दिया गया है ।

1.11 बिहार राशन कूपन योजना

जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तक सही मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा राज्य में राशन कूपन योजना लागू की गयी है । राशन कूपन योजना ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के लिए माह जून, 2008 से पूर्ण रूप से लागू किया गया है ।

शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का सर्वेक्षण नगर विकास विभाग द्वारा कराया गया था तथा शहरी क्षेत्रों में भी माह अगस्त, 08 से राशन कूपन योजना लागू की गयी है ।

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षित बी0पी0एल0/ अन्त्योदय परिवारों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति

सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से राशन कूपन उपलब्ध कराया गया था । बी0पी0एल0 परिवारों को लाल रंग का मासिक राशन कूपन (गेहूँ एवं चावल हेतु अलग-अलग) एवं अन्त्योदय परिवारों को पीले रंग का मासिक कूपन (गेहूँ एवं चावल हेतु अलग-अलग) एकमुश्त एक वर्ष हेतु उपलब्ध कराया गया था ।

2 अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान कराने के लिए एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं कल्याणकारी योजनाओं की खाद्यान्न की मांग की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्यक्रम राज्य में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है । खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में धान की कुल अधिप्राप्ति 30.00 लाख मे0 टन के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1944906.83 मे0 टन प्राप्त हुई है ।

खरीफ विपणन मौसम 2013-14 राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (डी0सी0पी0) व्यवस्था लागू हो गई है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार खाधान्न का उत्पादन, अधिप्राप्ति तथा उनका लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरण के लिए स्वंतत्र हो गई है तथा अपनी सुविधानुसार अधिप्राप्ति कार्यक्रम संचालित कर रही है ।

राज्य सरकार कृषकों को उनके उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से शत-प्रतिशत लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है । खरीफ विपणन मौसम 2013-14 में अभिकरणवार धान/चावल की अधिप्राप्ति का निर्धारित लक्ष्य निम्नवत् है :-

(लाख मे0 टन में)

क्र0 सं0	अभिकरण	धान/चावल
1.	राज्य खाद्य निगम	6.00
2.	पैक्स	24.00
	कुल -	**30.00**

खरीफ विपणन मौसम 2013-14 अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण किस्म 1310/- रूपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड 'ए'-1345 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य के किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने तथा अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसानों को 250/- रूपये प्रति क्विंटल बोनस की राशि भुगतान किया गया है ।

इस मौसम में अभी तक कुल धान अधिप्राप्ति 14.31 लाख मे0 टन हुई है ।

धान/चावल एवं गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा प्रत्येक सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Video Conferencing के माध्यम से जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ की जाती है । अधिप्राप्ति कार्य को प्राथमिकता देते हुए इसके अनुश्रवण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता

में जिला स्तरीय टास्क फोर्स भी गठित है । विभिन्न अधिप्राप्ति अभिकरणों एवं जिला स्तर से समन्वय हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किये गये हैं ।

3 गोदाम निर्माणः- राज्य की भंडारण क्षमता की अभिवृद्धि की अनिर्वायता को देखते हुए वर्ष 2013-14 में रू0 251.42 करोड़ (RIDF XVIII के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण रू0 238.85 करोड़ एवं राज्यांश रू0 12.57 करोड़) की लागत से 340 गोदामों(भंडारण क्षमता 3.14 लाख मे0टन) का निर्माण एवं रू0 506.15 करोड़ (रू0 488.83 करोड़ WIF के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण एवं 17.32 करोड़ राज्यांश) की लागत से Pre-fabricated structure पर आधारित 131 गोदामों (भंडारण क्षमता 5.50 लाख मे0टन) का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से कराने का निर्णय सराकर द्वारा लिया गया । गोदाम निर्माण के पूर्व की दो परियोजनाओंः- (i) रू0 207.56 करोड़ (रू0157.64 करोड़ RIDF XVII के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण एवं 49. 92 करोड़ राज्यांश) की लागत से 423 गोदामों (2.84 लाख मे0टन) तथा (ii) रू0 169.27 करोड़ की लागत से 211 गोदामों (भंडारण क्षमताः- 2.18 लाख मे0टन) को सम्मिलित करने के उपरांत कुलः- 1134.340 करोड़ की लागत से कुलः- 1105 गोदामों (भंडारण क्षमता 13.66 लाख मे0टन) का निर्माण कराया जा रहा है ।

उक्त सभी परियोजनाओं अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 1.005 लाख मे0टन क्षमता के गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है । वर्ष 2012 तक राज्य खाद्य निगम के पास 1.35 लाख मे0टन भंडारण क्षमता थी । विभिन्न स्त्रोतों से भंडारण क्षमता बढ़ने के फलस्वरूप मार्च 2014 तक निगम की भंडारण क्षमता बढ़कर 6.743 लाख मे0टन हो गयी ।

वर्ष 2014-15 में कृषि रोड मैप के अन्तर्गत कुल 11.295 लाख मे0टन के भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं इस पर वर्ष 2014-15 में रू0 626.57 करोड़ वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

3.1. नियुक्तिः- बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के द्वारा 265 सफल अभ्यर्थियों की आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी जिसके विरूद्ध 244 आपूर्ति निरीक्षकों को नियुक्ति किया गया । नियुक्ति के विरूद्ध ऐसे 223 आपूर्ति निरीक्षकों द्वारा योगदान दिया गया जिनमें से 155 की प्रतिनियुक्ति राज्य खाद्य निगम में सहायक गोदाम प्रबंधक के पद पर पदस्थापन हेतु किया गया और शेष 68 आपूर्ति निरीक्षकों का पदस्थापन विभिन्न प्रखंडों में किया गया ।

प्रोन्नतिः- बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के 63 पणन पदाधिकारियों की प्रोन्नति सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर दी गई ।

3.2. आरोप एवं विभागीय कार्यवाही

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में खाद्यान्न वितरण एवं किरासन तेल वितरण लाभुकों के बीच कराने के विभागीय उद्वेश्य के तहत अनियमितता एवं कर्त्तव्यहीनता में विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की संलिप्तता संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है । विभाग के स्तर से जांच दल भेजकर एवं अधीनस्थ कार्यालय के पदाधिकारियों के माध्यम से जांच कराकर नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है । कार्रवाई के क्रम में विभाग के नियंत्रणाधीन-03 आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सम्प्रति निंलबित हैं । 28 कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है । बिहार प्रशासनिक सेवा के छः पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है । 22 कर्मियों के विरूद्ध समीक्षोपरान्त दण्ड संसूचित किया गया ।

3.3 निरीक्षण एवं छापामारी

1. जनवरी, 2013 से अबतक कुल 60771 जन वितरण प्रणाली दुकानों का विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ।
2. निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर कुल 542 जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्तियां रद्द की गई हैं ।
3. कुल 186 छापेमारियां की गई हैं ।
4. कुल 138 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं ।
5. कुल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

3.4 विभागीय संरचना

परिचय :- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य सचिवालय (मुख्यालय) स्तर से प्रखण्ड स्तर तक सम्पादित करने हेतु निम्नलिखित संरचना है :-

मुख्यालय स्थापना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत मुख्यालय स्थापना तथा क्षेत्रीय स्थापना से सम्बन्धित स्वीकृत पदों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

3.5 स्थापना (मुख्यालय)

पदनाम	पद संख्या
प्रधान सचिव/सचिव (भा0प्र0से0)	01
आरक्षी उपमहानिरीक्षक (आर्थिक अपराध)(भा0आ0से0)	01
अपर सचिव/संयुक्त सचिव, भा0 प्र0 से0	01
अपर सचिव (वि0प्र0से0)	01
संयुक्त सचिव (वि0प्र0से0)	02

उप सचिव (वि0प्र0से0)	01
उप सचिव (वि0स0से0)	01
अवर सचिव (वि0स0से0)	02
प्रशाखा पदाधिकारी (वि0स0से0)	10
सहायक	36
सहायक प्रोग्रामर	01
उच्च वर्गीय लिपिक	07
निम्न वर्गीय लिपिक	07
कम्प्यूटर डाटा इंट्री ऑपरेटर	02
संकलक	03
अभिलेखवाह	01
आपूर्ति लिपिक	05
कार्टो ग्राफर	01
वरीय लेखा निरीक्षक	02
सांख्यिकी सहायक	01
चालक	02
अनुसेवक	20
लेखा पदाधिकारी	01
सहायक लेखा नियंत्रक	01
प्रधान आप्त सचिव	01
आप्त सचिव	02
निजी सहायक	03
आशुलिपिक	04
ट्रेजरी सरकार	01
फरास	01
आपूर्ति निरीक्षक	05
पणन पदाधिकारी	05

3.4.2 <u>उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय</u>

निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण	01
निजी सहायक	01
चालक	01

3.4.3 <u>विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्थापना की संरचना एवं प्रशासन</u>

(क) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विभागीय आपूर्ति कार्यो का संचालन एवं नियंत्रण सम्बन्धित जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधकारी एवं निरीक्षक सम्वर्ग के विभागीय आपूर्ति पदाधिकारियें के अधीन होता है । बिहार राज्य में एक मात्र अनुभाजन कार्यालय पटना में कार्यरत है । क्षेत्रीय स्थापना के विभागीय पदाधिकारियें के पदों की संरचना निम्नवत् है :-

1. उप निदेशक (खाद्य) - - 9
2. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी - पटना - 1
3. उप अनुभाजन पदाधिकारी - पटना - 1

4. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) - पटना - 1
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी - 37 पद स्वीकृत ।
6. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक
   अनुभाजन पदाधिकारी - 101 पद स्वीकृत ।
7. पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति
   पदाधिकारी- संवर्ग का कुल स्वीकृत बल- 316
8. आपूर्ति निरीक्षक का कुल स्वीकृत पद - 612

आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग में पदाधिकारियों की अत्यधिक कमी के कारण राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का पदस्थापन संभव नहीं हो पा रहा है । कार्यहित में आपूर्ति कार्यों के सम्पादन हेतु रिक्त प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आपूर्ति कार्य का अस्थायी प्रभार देने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया है ।

(ख) क्षेत्रीय स्थापना :- विभागीय आदेश सं0 2842 दिनांक 19.03.1983, 457/24.01.89, 11985/15.12.79, 18169/16.01.73, 7134/18.07.85, 9430/27.09.77, 9572/28.09.77 एवं 6502/01.07.86 द्वारा इस विभाग के उत्तरवर्ती बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु निम्न प्रकार से पद स्वीकृत हैं:-

1.	कार्यालय अधीक्षक	23
2.	प्रधान लिपिक	52
3.	उच्च वर्गीय लिपिक	22
4.	लिपिक/नि.व.लिपिक	309
5.	आशुटंकक	07
6.	टंकक	05
7.	चालक	09
8.	कैशियर	01
9.	मुख्य लेखापाल	01
10.	लेखापाल	11
11.	सहायक लेखापा	34
12.	झाड़ूकश/पदचर/चौकीदार	131

3.4 पेंशन / प्रोन्नति

पेंशन

1. जनवरी, 2014 तक कुल 26 पेंशन मामले लंबित हैं जिनकी स्थिति निम्नवत् है :-

क. जिला स्तर पर लंबित - 26

कुल - 26

प्रोन्नति :-

विभाग में मुख्यालय स्तर के सभी सम्वर्गों में देय प्रोन्नति दी जा चुकी है ।

बिहार राज्य खाद्य आयोग का गठन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 की धारा-16 के आलोक में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने और इसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए बिहार राज्य खाद्य आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है जिसमें निम्नवत् अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य है :-

i. अध्यक्ष - 01 (एक)
ii. अन्य सदस्य - 05 (पॉच)
iii. सदस्य सचिव- 01 (एक)

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी निवारण के लिए जिले में अपर समाहर्ता के स्तर के पदाधिकारी को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है ।

4 बजट वित्तीय वर्ष 2013-14 की अद्यतन उपलब्धियां (मार्च 2014 तक)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का योजना उद्व्यय एवं व्यय (मार्च 2013) तक

क्र0	विषय	2013-14 का कुल उदव्यय/उपबंध	व्यय राशि 2013-14	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	खाद्य सुरक्षाः- बी0पी0एल0 अनु0 जाति-	50,82,20,000 4,93,52,51,000	शून्य 3,00,00,00,000	विपत्र कोड पी0-2408801101010 3 धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मुल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता (बोनस) हेतु प्रत्यर्पित कर बी0सी0एफ0 से राशि 1,24,17,80,000/ रू0 प्राप्त किया गया ।
2	अन्नपूर्णा	11,31,00,000	11,01,70,898	
3	निगरानी अनुश्रवण-	24,75,00,000	शून्य	खर्च की स्वीकृति नहीं ।
4	गोदाम निर्माण	4,19,27,00,000	4,04,45,39,000	यह मामला भवन निर्माण विभाग के मांग सं0-03 में उपबंध किया गया है । इसका व्यय भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है
5	अधिप्राप्ति	4,52,68,24,000	‘‘	विपत्र कोड पी0-2408011010103 धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मुल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता (बोनस) हेतु प्रत्यर्पित कर बी0सी0एफ0 से राशि 1258220000/ रू0 प्राप्त किया गया ।
6	धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनमत समर्थन मुल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता (बोनस)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000	खाद्य सुरक्षा के विपत्र कोड पी0- 3456001020102 से एवं अधिप्राप्ति से विपत्र कोड पी0- 6408011010101 के द्वारा प्रत्यर्पित कर बी0सी0एफ0 से राशि 1,24,17,80,000/- रू0 एवं 1,25,82,20,000/-रू0 कुल 2,50,00,00,000/-रू0 प्राप्त किया गया ।
	योगः-	17,02,35,95,000	9,65,47,09,898	

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित नई योजना				
7	लक्षित जन वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न तथा भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण	6,23,00,00,000	शून्य	
8	खाद्याान्न भंडारण गोदामों का निर्माण (नावार्ड सम्पोषित)	77,00,00,000		
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	50,00,00,000	‘‘	
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1,91,94,25,000		
11	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)	1,83,80,39,000	‘‘	
12	जनजातिय क्षेत्र उप योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)	12,25,36,000		
13	लक्षित जन वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन	2,00,00,00,000		
14	अन्नपूर्णा योजना	9,00,00,000		
15	निगरानी अनुश्रवण	5,35,95,000		
	कुल योगः-	**13,52,35,95,000**		

5 उपभोक्ता संरक्षण

आधुनिक बाजार व्यवस्था में राज्य के उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा शोषण से बचाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है । इसके लिए राज्य स्तर पर राज्य आयेाग एवं जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फेारम गठित है । राज्य आयेाग में माह मार्च 2014 तक दायर 17,507 वादों में से 13,183 वादों का निपटारा हेा गया है। जिला फेारमों में भी दायर 95,097 वादों में से 81,854 का निपटारा हेा चुका है । लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु भी उपभोक्ता न्यायालय सतत प्रयत्नशील है ।

राज्य की जनता को अपने उपभोक्ता संबंधी अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने/उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत त्रुटिपूर्ण सेवा, घटिया सामग्री की प्रतिपूर्ति अथवा हर्जाना की प्राप्ति के प्रावधानों एवं

प्रक्रियाओं से अवगत होने के उदेश्य से राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन संख्या 1800 3456 188 की स्थापना की गयी है जो 15 मार्च 2011 से क्रियाशील है ।

उपभोक्ता जागरूकता एवं उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम से जूड़े स्वंयसेवी संस्थाओं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को जागरूक करने में संलग्न स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 निरूपित किया गया है । इस योजना के तहत एक कार्पस फंड सृजित किया गया है। योजना के तहत 10 करोड़ की निधि में राज्यांश मद की 2.5 करोड़ एवं केन्द्रांश मद की 7.5 करोड़ की राशि एक ब्याज प्रदायी बैंक खाता में जमा कर इसकी सूद की राशि का उपयोग प्रचार-प्रसार एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम संचालन में किया जाएगा। राज्यांश मद का 2.5 करोड़ रूपया एवं केन्द्रांश मद का 7.5 करोड़ कुल 10.00 करोड़ रू0 बैंक में सूद प्रदायी खाता में जमा किया जा चुका है। इस योजना से राज्य में उपभोक्ता जागरूकता हेतु निधि की निरंतरता बनी रहेगी तथा कार्यक्रम बिना रूकावट संचालित रहेगा । बागला समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयेाग, पटना के लिये अधीक्षक -01, बेंच क्लर्क-01, पुस्तकालयाध्यक्ष- 01, निम्नवर्गीय लिपिक 05 एवं कार्यालय परिचारी एवं चौकीदार के 03 यानि कुल 11 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है ।

जिला उपभोक्ता फेारमों के लिपिक, आशुटंकक एवं बेंच क्लर्क लिपिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु सेवाशर्त संबंधी सम्वर्ग नियमावली निरूपित की गयी है। नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयेाग केा भेजी गयी है, जिसके विरूद्व बिहार कर्मचारी चयन आयेाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा रू0 5.2 करोड़ उपभोक्ता फोरमों को सुदृढ़ करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। राशि की निकासी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली द्वारा राज्य के पॉच पिछड़े जिलों के ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों से अवगत कराने हेतु स्वयंसेवी संस्था को चालू वर्ष अंतर्गत 10.00 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। इस राद्वि का उपयोग प्रथम चरण अंतर्गत पटना, वैशाली, अरवल, मुजफफरपुर एवं नालंदा जिलों का चयन किया गया है ।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयेाग, पटना के संयुक्त भवन का जीर्णोद्वार किया गया है ।

प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य आयोग सहित 11 जिलों फोरमों को कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है ।

5.1 (क) निगम का उद्देश्य

बिहार स्टेट फूट एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 का निबंधन दिनांक 02.04.1973 को हुआ तथा निगम ने दिनांक 01.08.1973 के प्रभाव से व्यापारिक कार्य सम्पादन करना प्रारम्भ किया । निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बाढ़, सुखाड़ एवं महामारी प्राकृतिक आपदाओं में सरकार को अपेक्षित सहयोग देने के अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रायोजित जनोन्मुखी, सर्वोपयोगी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में पूर्णतया प्रतिबद्ध होकर निरन्तर सार्थक एवं सक्रिय प्रयास करना है । वर्तमान में निगम द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनान्तर्गत बिहार राज्य हेतु आवंटित खाद्यान्न का उठाव एंव वितरण कार्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में गेहूँ/धान का अधिप्राप्ति कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

(ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु क्रियान्वित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की उपलब्धि

(1) राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में निरन्तर तत्परता बरतने से टी0पी0डी0एस0 लाभुकों के बीच ससमय खाद्यान्न आपूर्ति करने में सरकार/निगम सफल रहा है । फलतः बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य के लिए केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार से प्राप्त बी0पी0एल0 गेहूँ के आवंटन का क्रमशः 95 तथा 97 प्रतिशत उठाव हुआ । इसी प्रकार केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार से प्राप्त बी0पी0एल0 चावल का उठाव वर्ष 2013-14 में क्रमशः 95 तथा 97 प्रतिशत हुआ है । बिहार सरकार के आवंटन के विरूद्ध चावल उठाव का प्रतिशत कम होने का कारण यह है कि भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न डीपो में चावल की उपलब्धता कम रही है । इसी प्रकार अन्त्योदय योजनान्तर्गत गेहूँ/चावल के उठाव का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में क्रमशः 98 एवं 99 प्रतिशत हुआ है । अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो भी आवंटन व्ययगत हुआ है, वह भारतीय खाद्य निगम डीपो में खाद्यान्न की अनुपलब्धता एवं डीपो स्तर पर व्याप्त अन्य संक्रियात्मक समस्याओं के कारण हुआ है । इस क्रम में सरकार द्वारा अपने संसाधन से लगभग 6 करोड़ रूपये की अन्तर राशि का 0.30 लाख मे0टन ए0पी0एल0 गेहूँ क्रय कर बढ़े हुए परिवारों के बीच वितरण किया गया है । इसके अतिरिक्त ए0पी0एल0 योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जहाँ गेहूँ का उठाव केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन के विरूद्ध 91 प्रतिशत हुआ है, उक्त योजना में चवाल का आंवटन नगण्य है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2012-13 में निगम द्वारा राज्य सरकार की एजेंसी के रूप में 1,25 लाख मे0टन अधिप्राप्ति गेहूँ किसानों से सीधे एवं 3.91 लाख

मे0टन गेहूँ पैक्स के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में गेहूँ का बाजार मूल्य न्युनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहने के कारण गेहूँ की अधिप्राप्ति नही हुई है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार के अधिप्राप्ति अभिकरणों के द्वारा कुल 22.88 लाख मे0टन धान की अधिप्राप्ति किया गया । वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 30 लाख मे0टन लक्ष्य के विरूद्ध बिहार राज्य खाद्य निगम/पैक्सों द्वारा कुल 19.44 लाख मे0टन धान की अधिप्राप्ति किया गया है ।

(4) इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 बिहार राज्य खाद्य निगम/ पैक्सों द्वारा कुल 14.31 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति की गई है तथा किसानों को प्रोत्साहित करने तथा अधिकतम लाभ दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 250/- रू0 प्रति क्वी0 की दर से बोनस का भी भुगतान किया गया है ।

(5) वित्तीय वर्ष 2013-14 में निगम द्वारा 182 गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक तौल-मापक यंत्र लगा दिया गया है ताकि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति करने में तौल की शुद्धता बनी रही है ।

(6) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न के उठाव पर कड़ी निगरानी रखी गयी है एवं परिवहन कार्य में अनियमितता बरतनेवाले परिवहन अभिकर्त्ता/कार्मिकों के विरूद्ध आर्थिक एवं वैधिक कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है । इसी क्रम में जिन परिवहन अभिकर्त्ता/ गोदाम प्रबंधक द्वारा खाद्यान्न की क्षति की जाती है, उनसे भारत सरकार के द्वारा निर्धारित आर्थिक मूल्य (गेहूँ के लिए 1614.00 रू0 प्रति क्वींटल, सामान्य चावल के लिए 2146.00 रू0 प्रति क्वींटल एवं चावल ग्रेड-ए0 के लिए 2200.00 रू0 प्रति क्वींटल) पर खाद्यान्न क्षति की वसूली करने का प्रावधान किया गया है जबकि पूर्व में परिवहन अभिकर्त्ता से ए0पी0एल0 + 30 प्रतिशत की दर से एवं निगम कार्मिक से मात्र ए0पी0एल0 दर पर खाद्यान्न में हुई क्षति की वसूली की जाती थी ।

(7) निगम के व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012-13 में जहाँ निगम का कुल टर्न-ओवर 2049.55 करोड़ रूपये था, वह वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढ़कर 2250.29 करोड़ रूपये हो गया है जो विछले वर्ष की अपेक्षा 9.79 प्रतिशत अधिक है ।

(ग) वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निगम का भावी कार्यक्रम

(1) वित्तीय वर्ष 2013-14 में डोर-स्टेप-डिलेवरी के अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदामों से उचित मूल्य के दुकानों तक खाद्यान्न का परिवहन कर जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं को माह जनवारी 14 आपूर्ति की जा रही है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2013-14 में निगम कार्यों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कराने की निगम की योजना है ताकि सूचनाओं/प्रतिवेदन का आदान-प्रदान करने एवं निगम कार्यों पर नियंत्रण रखने में सुगमता हो ।

(3) केन्द्रीय सतर्कता समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं निगम के विस्तृत व्यापार तथा वर्तमान व्यावसायिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निगम कार्मिकों की कमी को पूरा करने हेतु स्वच्छ छविवाले 148 सेवा निवृत्त निगम कार्मिकों को संविदा के तहत नियोजित किया गया है । इसके अतिरिक्त विभिन्न संवर्गों के 227 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद के माध्यम से नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन के तहत खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण का लाभ लक्षित व्यक्तीयों एवं परिवारों तक पहुँचाने के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है ।